जनपद हमीरपुर

दिनांक 01.06.2026

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित कार्रवाई हेतु साइबर थाना हमीरपुर, बैंक अधिकारियों एवं जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क टीम के साथ समन्वय बैठक आयोजित।

आज दिनांक 01.06.2026 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर एवं प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स, हमीरपुर के सभागार में जनपद स्तर पर कार्यरत बैंक अधिकारियों तथा विभिन्न थानों पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क टीम के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम, प्रभावी नियंत्रण तथा साइबर फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि बैंकों में नए खाते खोलते समय ग्राहकों को साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक बैंक शाखा में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो साइबर अपराध से संबंधित मामलों में पुलिस एवं बैंक के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करेगा।

बैठक में बैंक अधिकारियों एवं साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों के मध्य बेहतर संवाद एवं त्वरित सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल नंबर एवं ई-मेल साझा कर एक संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि किसी भी साइबर फ्रॉड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित बैंक खाते को तत्काल फ्रीज अथवा होल्ड करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। साथ ही भारत सरकार के I4C प्लेटफॉर्म के अंतर्गत संचालित GRM (Grievance Redressal Mechanism) एवं MRM (Money Restoration Module) पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए पीड़ितों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक के दौरान साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नवीन तरीकों एवं ट्रेंड्स की जानकारी नियमित रूप से साझा करने तथा प्रत्येक माह समन्वय बैठक आयोजित कर साइबर जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया।

जनपद पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध साइबर गतिविधि की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल अथवा निकटतम थाना/ साइबर थाना से संपर्क करें। साथ ही किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक, ओटीपी, क्यूआर कोड अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी को किसी के साथ साझा न करें।

"साइबर सुरक्षा, जन सुरक्षा"